आवेदन क्रमांक : ४४७१७

विद्यालय - BRIGHT DAY SCHOOL (P70812)

मान्यता कोड : RIDGP33292

प्रारूप - 2

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक DUNGARPUR , राजस्थान

कर्माकः

79

दिनांक 13.09.2023

सविव

प्रबंध समिति

BRIGHT DAY SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप-नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 44717 और इंस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, BRIGHT DAY SCHOOL पता NEAR TEHSIL ,DHAMBOLA-SIMALWARA MAIN ROAD ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय DHAMBOLA ब्लॉक SIMALWARAआसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 3683 खसरा न. 3654,3680को शैक्षिक सत्र 2023-24 से निमानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

मान्यता का प्रकार		नवीन मान्यता कक्षा (१-८)
दिद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर		
मान्यता का माध्यम	**	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचातन की अनुमति 💯 🚕		Yes

1. विद्याल्य के नवीन मान्यता / क्रमोत्रति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण् का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीतदार कार्यातय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संवातन

2. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं

3. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क

4. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थित, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पहोस के कमजोर वर्ण और 130 प्राप्त कि 130 प्राप्त कि 150 कि अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधी का पालन करेगा। – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालुकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुत्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ग्रेम करने ने कि वि

5. पैरा-3 में निर्दिष्ट वालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपर्ति की जागेगी।

6. सीसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संप्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया कर पार्टिंग

7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधी का पालन करेगा। पालन करेगाँ।

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विदालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा:

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगाः अस्ति किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगाः

Olapio II Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal

P 13/09/2023 Page 1 of 3

वागड घेतना मंडल सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

आवेदन क्रमांक : 44717 14 | 85

त्य - BRIGHT DAY SCHOOL (P70812)

वता कोड: RIDGP33292

प्रारूप - 2

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक DUNGARPUR , राजस्थान

V) प्रार्मिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बातक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम

23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

0 2009 के अधिनियम् के उपवंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 को उप-धारा(1) के अधीन अधिक<mark>धित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए</mark> (III) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं

viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

विद्यालय, समुचित् प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण्(Syllabus) का अनुसर्ण करेंगे। विद्यालय, 2009 के अधिनियम् की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।

0 दिवालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

। विद्यातय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे। 12 विद्यातम, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी तोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

13 विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

14 किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।

15. इस कार्यात्य के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्ष की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

- 🤒 गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होंने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरूद्ध मान्यता/क्रमोत्रति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- D. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, गर्थेय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया षावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ा. अन्य शर्ते जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।



MENSM सचिव वागड चेतना मंडल सीमलवाडा

15/85 आवेदन क्रमांक : 44717

BRIGHT DAY SCHOOL (P70812)

होड: RUDGP33292

प्रारूप - 2

कार्यालयः जिला शिक्ष्य अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक DUNGARPUR , राजस्थान

जिला शिक्ष शिक्ष सिक्स हो। प्रारम्मिक शिक्ष सिक्स सिक्स सिक् कोड ने. 1509

पे निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
तक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
व, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
त माध्यमिक शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
तिय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार
तिय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार
त प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार
त प्राधिकारी प्राधिक कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि
त प्रावती।

जिला स्थित कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

लिट्रेंभें सचिव वागड़ चेतना मंडल सीमलवाड़ा

Line Carlo Maria and Carlo Carlo